न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 18 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजेन्द्रसिंह पुत्र चेनसिंह जाति राजपूत निवासी अडवड तहसील जायल जिला नागौर।		1 किशनकंवर पुत्री चैनसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 2 श्रीनगर, 18 एचएमएच, ग्रामीण हनुमानगढ़, राजस्थान। 2 ग्राम पंचायत अडवड पंचायत समिति मुण्डवा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अडवड तहसील जायल जिला नागौर। 3 ग्राम पंचयत अडवड, पंचायत समिति मुण्डवा जरिये ग्राम सेवक / पदेन सचिव ग्राम पंचायत अडवड तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री रमेश कुमार ढाका, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

2 श्री चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 17.04.2026

1— प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अडवड द्वारा मिसल संख्या 15 / 87—88 दिनांक 05.06.1987, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.03.2025 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 12.03.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के आम मुख्त्यानामा शोभागसिंह की ओर से श्री चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2025 अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत पेश किया, जिसका जवाब वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 18.11.25 को दिया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 06.11.2025 खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत अडवड के मिसल संख्या 15 / 87—88 के द्वारा जारी पटटे की फोटोप्रति, लिखापढी दिनांक 06.01.1988 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.25 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने पॉवर ऑफ अटोर्नी की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के संयुक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 25.10.24 की फोटोप्रति, लिखापढी दिनांक 21.06.90 की फोटोप्रति, सूचना चाहने के लिये प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के पत्र दिनांक 19.09.25 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 23.06.2025 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत में रिकोर्ड उपलब्ध होना नहीं बताया है।

2— बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि —

2(1)— ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 15/87—88 दिनांक 05.06.1987 न्याय, नियम व कानून के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)— अप्रार्थी किशनकंवर ने जो कथित पट्टा बताया है वह सरासर फर्जी, कूटरचित व षडयंत्रपूर्वक ढंग से प्रार्थी को उसकी जांयगा से बेदखल करने की नियत से स्वयं ने ही फर्जी तैयार किया है। उपरोक्त मिसल संख्या से सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। क्योकि उक्त पट्टा सुद जायगा प्रार्थी की बंट में दे दी तथा उसके पश्चात उक्त जायगा पर हमेशा प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। क्योकि प्रार्थी के पिता चैनसिंह ने जव उक्त आवादी की जायगा मय मकान व बाडी प्रार्थी को बंटवाडे के वक्त दे दी थी। ऐसी स्थिति में पुनः चैनसिंह जी सरपंच थे उनके द्वारा अपने पुत्री अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से मिसल संख्या 15 / 87—88 के जरिये पट्टे की कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की वर्षो पूर्व शादी हो चूकी है जिसके पश्चात वह अपने ससुराल में निवास करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने फर्जी तरीके से प्रार्थी की भूमि को हडप करने के लिए षडयंत्र करके कथित पट्टा बनाया है जो शुरू से ही अवैध व शून्य है।

17/4/-

अपर कलक्टर, नागौर

2(3)– ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया हैं न ही ऐसा कोई रिकॉर्ड ग्राम पचायत में मौजूद है ऐसा होता तो कथित पट्टे पर पट्टा संख्या का भी उल्लेख होता, किन्तु शोभागसिंह के साथ मे प्रार्थी से नाराजगी रखने वाली बहनों के नाम से भी कथित पट्टे बनाये गये है जिसमें किसी का भी पडौस मिलान नही होता है तथा न ही किसी भी पट्टे पर पट्टे संख्या का उल्लेख किया गया हैं तथा न ही ग्राम पचायत को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से कथित पट्टा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार था। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानीकर्ता की बंट व स्वामित्व की जायगा के संबंध में कथित पट्टा सरासर गलत, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जारी किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2(4)– निगरानीकर्ता प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से कथित फर्जी पट्टा व उसकी मिसल की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी मगर ग्राम पंचायत ने उपलब्ध नही करवाई तथा कहा कि उक्त कथित पट्टे की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नही हैं। इस प्रकार किशन कंवर के नाम से कथित फर्जी पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका जांच नही की और न ही सार्वजनिक आपत्तियां ली गई, न नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया न वार्ड पंचों की टीम से मौका जांच करवाई गई थी, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बाले–बाले गैर कानूनी पट्टा जारी होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योकि उक्त जायगा जो चैनसिंह स्वयं की भी उन्होनें पारिवारिक बंट में प्रार्थी को दे दी गई। इस कारण जो कथित फर्जी पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी किया गया है। वह निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)– राज.पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत मालिकाना हक व पुराना कब्जा होने पर ही विक्रय विलेख जारी किया जा सकता है। मगर उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का न तो कभी कब्जा रहा न मालिकाना हक, इसलिय पट्टा जैर निगरानी अवैध व शून्य है।

2(6)– पट्टा जैर निगरानी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, राज. पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 258 से 266 तक की पालना नहीं की गई सारी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 ने छिपे तौर से करके एक कुटरचित दस्तावेज तैयार किया है। जिसका न तो कोई विधिक आधार है न कोई अस्तित्व है। इसलिए भी पट्टा जैर निगरानी निरस्त किया जाना उचित है।

2(7)– उक्त कूटरचित पट्टे पर न तो नक्शा नवीश के हस्ताक्षर है और न ही सचिव के हस्ताक्षर है। इससे भी उक्त पट्टा कूटरचित होना साबित होता है तथा न ही कोई सरपंच अपनी संतानों के नाम से पट्टा जारी कर सकता है। इसलिए भी उक्त पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

2(8)– अप्रार्थी संख्या 01 ने यह जानते हुए कि कथित पट्टा जो उसके द्वारा फर्जी तैयार किया गया है उस जायगा/मकान को बंट में प्रार्थी को दिया हुआ है, मौके पर निगरानीकर्ता का मकान बना हुआ है जिस पर निगरानीकर्ता काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है इसके बावजूद उसी जगह का फर्जी पट्टा ग्राम पंचायत के सरपंच वगैरह से मिलावट करके, अपराधिक षडयंत्र करके या उनको अंधेरे में रख कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बाले बाले अपने नाम से बनाया है जो अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)– जिस जायगा/मकान का पट्टा अपार्थी संख्या 01 ने अपराधिक षडयंत्र के तहत है उस जगह पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा, उपयोग, उपभोग निवास नही रहा है न उस जगह का अप्रार्थी संख्या 01 काबिज मालिक रहा है इसके बावजूद मिथ्या घोषणा करके कूटरचित मूल्यवान प्रतिभूति कथित फर्जी पट्टा की रचना की है जिनके विरूद्ध पुलिस विभाग में अलग से कार्यवाही निगरानीकर्ता की ओर से की जायेगी।

2(10)– निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से कथित फर्जी पट्टा व उसकी मिसल की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी मगर ग्राम पंचायत ने उपलब्ध नहीं करवाई है ग्राम पंचायत ने कथित पश्चातवर्ती फर्जी पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका जांच नही की गयी, न ही सार्वजनिक आपत्ति आमन्त्रित की गयी, न नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया न वार्ड पंचों की टीम से मौका जांच करवाई गयी और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बाले बाल गैर कानूनी पट्टा जारी किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(11)– कथित फर्जी पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के किसी भी नियम की कोई पालना नही की गयी है व सभी नियम कायदो को ताक पर रख कर फर्जी पट्टा जारी बनाया गया, तथा उक्त पट्टा पर पैरा संख्या भी दर्ज नहीं है जिसमें ही यह फर्जी होना साबित है व अप्रार्थी संख्या 01 व दीगर सहयोगियों जबरन कब्जा करने व पट्टा का दुरूपयोग करने पर आमदा है इसलिए कथित पट्टा को खारिज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2014(4) पेज 01 से 03 तथा आरएलडब्ल्यू 2015(2) पेज 01 से 03 नजीरे पेश की।

17/4/4
अपर कलक्टर, नागौर

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि निगरानीकर्ता ने उक्त निगरानी मिथ्या, बेबुनियाद व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर पेश की है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि हस्तगत जायगा पर कभी भी प्रार्थी का कोई कब्जा, हक अधिकार स्वामित्व नहीं रहा है बल्कि उक्त जायगा वास्तव में अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा, बंट व हक अधिकार की जायगा मय मकान आबादी भूमि अड़वड़ में रही है। मौके पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना आज दिन है। पिछले 50 वर्षों से अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा रहता आया है।

प्रार्थी ने निगरानी में यह भी गलत तथ्य दर्ज किये है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता का कब्जा व अधिकार है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि उक्त पट्टा जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उस पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का है। अप्रार्थी संख्या 01 व उसकी दीगर बहिने मैनाकंवर, ज्ञानकंवर, मंजुकंवर ने अपनी पट्टासुद कब्जासुद जायगा की पॉवर ऑफ एटॉर्नी भाई शोभागसिंह को लिख कर निगरानी करने के लिए कब्जा शोभागसिंह को सुपुर्द किया है।

उक्त भूमि से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। यह गलत है कि उक्त आबादी भूमि मय मकान प्रार्थी को पारिवारिक बंटवाडा में प्राप्त हुई हो जो प्रार्थी के पिता चेनसिंह ने बंट किया था, जिन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति का बंटवाड़ा दिनांक 6.1.1988 को किया था व पुत्रियों का कोई हिस्सा नहीं रखा हो। जबकि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 20.6.1999 को प्रार्थी/निगरानीकर्ता पूर्व की दिनांक 6.1.1988 की लिखापढ़ी को निरस्त करते हुए एक नई लिखापढ़ी अप्रार्थी संख्या 01 के भाई शोभागसिंह के पक्ष में निष्पादित करवाई व लिखापढ़ी में प्रार्थी ने स्वीकार किया कि ग्राम अड़वड़ की बाड़ी की जमीन व मकान शोभागसिंह के रहेंगे और भी कई शर्ते डाली थी व अड़वड़ की आबादी की बाड़ी में अपना कोई हिस्सा नहीं रखा था, यह लिखापढ़ी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मामा रघुवीरसिंह ने की थी, प्रार्थी के कहने से ही की थी जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की बहिन मैना कंवर व शोभागसिंह, व पिता चेनसिंह, मनोहरसिंह छावटा व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की मौसी लाडकंवर के हस्ताक्षर है तथा नोटेरी पब्लिक जयपुर द्वारा उक्त लिखापढ़ी तस्दीक हुआ है, जिससे प्रार्थी पाबंद था व है। अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई फर्जी पट्टा नहीं बनाया है। चेनसिंह ने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कब्जा के आधार पर ही पट्टा जारी करवाया था। सरपंच चेनसिंह जो कि पक्षकार के पिता थे उन्होने व ग्राम पंचायत ने विधिवत जांच करके नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का मानते हुए पट्टा जारी किया था। यहां यह लिखना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत अड़वड़ में पट्टो का रिकॉर्ड सन 1987 से सन 1991 का नहीं है जो सूचना के अधिकार से नकल मांगने पर हमे जानकारी हुई है। इसीलिए हमारे पट्टो का रिकॉर्ड पंचायत नहीं मिला क्योंकि पांच साल के सम्पूर्ण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा का कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा लिखित में दिया हुआ है। पट्टे वाली जगह पर प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है तो अप्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा करने का कथन हास्यास्पद व गलत है प्रार्थी ने सारे बनावटी व झुठे तथ्य दर्ज कर निगरानी पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी बहिनों के नाम से ही ग्राम पंचायत अड़वड़ द्वारा पट्टे जारी किये हुए है। यह गलत है कि अप्रार्थी का पट्टा फर्जी हो। अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी बहिने ससुराल मे रहने व शोभागसिंह अधिकतर जयपुर में रहने का नाजायज फायदा उठाकर उसकी अनुपस्थिति में मिथ्या घोषणा के आधार पर बाले बाले कथित नुमाइशी पट्टा बनवाया है।

प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 15/87–88 पट्टा संख्या दिनांक 05.06.1987 न्याय नियम व कानून के विपरीत हो। बल्कि ग्राम पंचायत अड़वड़ द्वारा अप्रार्थी के कब्जा की विधिवत जांच करके ही पट्टा जारी किया था। यह गलत है कि अप्रार्थी ने जो कथित पट्टा बताया वह सरासर फर्जी, कूटरचित व षड़यंत्रपूर्वक ढंग से प्रार्थी ने उसकी जायगा से बेदखल करने की नियत से स्वयं ने फर्जी तैयार किया हो, बल्कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत अड़वड़ द्वारा कब्जे की जांच करके ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी किया गया था। मिसल संख्या का अंकन करके ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था। उक्त जायगा पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं था न है। इस जायगा पर अप्रार्थी संख्या 1 का

17/4/..

अपर कलक्टर, नागौर

ही लगातार कब्जा था व आज दिन जरिये मुख्तियार के कब्जा है। बंटवाडे में चेनसिंह ने आबादी की जायगा मय मकान अप्रार्थी संख्या 1 को बंट में दिये थे। चेनसिंह सरपच थे तो उन्होने कब्जे की जांच करवा कर अप्रार्थी के नाम से पट्टा जारी किया था। यह गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जी तरीके से प्रार्थी की भूमि को हड़प करने के लिए षडयंत्र करके कथित पट्टा बनाया हो। जबकि वास्तविकता तो यह है कि पट्टा चेनसिंह सरपंच ग्राम पचायत अडवड द्वारा वार्ड पंचो आदि से जांच करवा कर विधिवत जारी किया था। यह गलत है कि ग्राम पंचायत अडवड द्वारा कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया हो, बल्कि ग्राम पंचायत अडवड ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या 01, उसकी बहिनें व शोभागसिंह ने प्रार्थी से नाराजगी रखने वाली बहिनों के नाम से भी कथित पट्टे बनाये हो। बल्कि ग्राम पंचायत अडवड के सरपंच द्वारा ही विधिवत बाद जांच पटटे जारी किये गये है, और पटटों में पडोस आदि का मिलान हो रहा है। यह गलत है कि ग्राम पंचायत को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कथित पट्टा जारी करने का अधिकार नही हो। ग्राम पंचायत गांव के किसी भी व्यक्ति के नाम से उसके कब्जा आदि की जांच करवा कर पट्टा जारी कर सकते है ग्राम पंचायत अड़वड़ ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया था जो कतई निरस्त होने योग्य नहीं है।

यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व मिसल की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाने से कोई पट्टा फर्जी नहीं हो जाता है, पांच साल का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत अड़वड़ के पास नहीं है यह नहीं माना जा सकता है कि पांच साल में कोई भी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया हो जबकि इस दौरान कई लोगो के नाम से पट्टे जारी किये हुये है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया था उस समय मौका की जांच की गयी, सार्वजनिक आपत्तियां ली गयी व नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया व वार्ड पंचो की टीम से मौका निरीक्षण करवाया गया और सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया था जो किसी भी सुरत में खारिज किये जाने योग्य नहीं है। उक्त जायगा के संबंध में विधिवत पट्टा जारी किया गया था।

यह गलत है कि राजस्थान पंचायत के सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत मालिकाना हक व पुराना कब्जा होने पर विक्रय विलेख जारी किया जा सकता है। बल्कि ग्राम पंचायत कब्जे के आधार पर जांच करवा कर पट्टा जारी करती है। उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का ही लगातार कब्जा व मालिकाना हक रहा है।

उक्त पट्टा जारी करते वक्त राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 258 से 266 तक के प्रावधानो की पूर्ण पालना की गयी थी और सारी विधिक प्रक्रिया अपना कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया था जो कूटरचित दस्तावेज नहीं है। नक्शा नवीश के हस्ताक्षर नहीं होने मात्र से पट्टा कूटरचित नहीं हो सकता है सरपंच ग्राम पंचायत अड़वड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से पट्टा जारी किया गया है।

यह गलत है कि कथित पट्टा फर्जी तैयार किया गया हो। उक्त जायगा/मकान पर प्रार्थी का बंट नहीं था। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा रहा है, जिसमें अप्रार्थी काबिज रह कर उपभोग करता आ रहा है और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। कालान्तर में प्रार्थी द्वारा बिना कब्जा ही ग्राम पंचायत से मिलावट करके फर्जी तौर पर पश्चातवर्ती पट्टा बना कर पंजीयन करवाया है जो पट्टा अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त जायगा पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा है अप्रार्थी संख्या 1 का फर्जी पट्टा होता तो प्रार्थी पुलिस थाने में कार्यवाही अवश्य करता मगर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यहां यह लिखना आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के नाम से विधिक प्रक्रिया अपना कर पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी की नियत में खोट आ गई तथा शोभागसिंह की सम्पति के पटटा के बाद पश्चातवर्ती पट्टा अपनी पत्नी के नाम बनाकर बाले बाले पंजीयन करवा दिया व शोभागसिंह के विरूद्व भी निगरानी अलग से पेश कर दी व बहिनों को नाजायज परेशान करने के लिये उनके नाम जारी पटटा को भी गलत रूप से चुनौती दी है। किसी दस्तावेजों को बिना आधार के फर्जी नहीं बनाया जा सकता, जबकि प्रार्थी ने बार बार फर्जी पटटे का निगरानी में अंकन किया है। निगरानीकर्ता ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी ही निगरानी प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 के भाई शोभागसिंह के विरूद्व पेश की है व शोभागसिंह के बंट कब्जा की जायगा के संबंध में पश्चातवर्ती पटटा जो प्रार्थी ने अपनी पत्नी कमल कंवर के नाम जारी करवाया है, उसको आधार बनाकर शोभागसिंह के विरूद्व की गई निगरानी के हुबहु तथ्य अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व की गई निगरानी में दर्ज किये है, जबकि उनका इस अप्रार्थी संख्या 01 की पटटासुद जायगा से कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद साईक्लोस्टाइल में निगरानीयां पेश है, इसके अलावा उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है।

17/4/24

अपर कलक्टर, नागौर

4— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अडवड द्वारा ग्राम पंचायत अडवड द्वारा मिसल संख्या 15/87—88 दिनांक 05.06.1987, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत अडवड से मूल रेकर्ड तलब किया गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 23.06.2025 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। रेकर्ड के अभाव में नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुसार आपतियां आमंत्रित कर मौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत् पट्टा जारी किया हो। क्योंकि मूल पट्टा व पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियमो की पूर्णतः पालना की हो, ऐसी स्थिति में पट्टे की वैधता पर संशय होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अडवड द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी मिसल संख्या 15/87—88 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/7/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर